

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

पीठासीन अधिकारी श्री श्री यशार्थ शेखर (आई.ए.एस.) अंतिम डिक्री  
अनवान

प्रपत्र - 5

वादी

1 मुल्तान सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपुरोहित निवासी सफेद आकडा, महाबार तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 ओंकारसिंह पुत्र नारायण सिंह 2 राणसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपुरोहित निवासी सफेद आकडा, महाबार तहसील व जिला बाडमेर 3 मुकेप कुमार धारीवाल पुत्र बाबुलाल धारीवाल जाति जैन निवासी जटियों का पुराना वास, हनुमान मन्दिर के पास, बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 4 तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत् 88, 92ए, 188 व 209 रा.का.अ.

सुकदमा नम्बर :- 270/2025

निर्णय दिनांक :- .....18.12.2025

वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .....18.12.2025 को श्री यशार्थ शेखर, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री निम्न प्रकार दी जाती है कि:-

वादी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के नवीन खसरा संख्या 2612/2176 रकबा 5.1476 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 का रकबा 9.12 बीघा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 03 का रकबा 01.00 बीघा भूमि अर्थात प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित की जाती है। अतः तहसीलदार बाडमेर तद् अनुसार समस्त राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह अंतिम डिक्री आज तारीख .....18.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(यशार्थ शेखर )  
पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
(एसडीओ) बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
	जोड़		जोड़